

कार्यालय: जनपद न्यायाधीश, एटा।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 15 /2026 दिनांक 13.01.2026

आ दे श

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 486/Admin.(E-I) Section/XC-4/2026/Dated. Allahabad: 13.01.2026 के माध्यम से दिनांक 15.01.2026 को मकर संक्रान्ति होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में अवकाश घोषित करते हुए उसके स्थान पर किसी भी चतुर्थ शनिवार को न्यायिक कार्य हेतु न्यायालय खोले जाने का निर्देश दिया गया है।

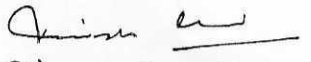
अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 15.01.2026 को जनपद न्यायालय, एटा मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय, अलीगंज का अवकाश घोषित किया जाता है एवं उक्त दिनांक को अवकाश घोषित होने के कारण माह जुलाई 2026 के चतुर्थ शनिवार दिनांक 25.07.2026 को जनपद न्यायालय, एटा स्थित समस्त न्यायालय एवं ग्राम अलीगंज न्यायिक कार्य हेतु यथावत् खुले रहेंगे।

आदेश की एक-एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट एटा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा, अधीक्षक जिला कारागार एटा, अध्यक्ष/सचिव कलक्ट्रेट बार एसोसियेशन, एटा एवं दैनिक समाचार-पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित की जाये तथा कार्यालय के सूचना पट पर भी चस्पा की जाये।

सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, एटा को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 15.01.2026 में नियत समस्त पत्रावलियों को सुनवाई/निस्तारण हेतु दिनांक 16.01.2026 में नियत करना सुनिश्चित करें तथा साथ ही इस आदेश की एक प्रति जनपद न्यायालय, एटा की बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सर्वसम्बन्धित सूचित हों।

दिनांक: 13.01.2026


(दिनेश चन्द) 13.1.26

जनपद न्यायाधीश, एटा।